न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम रामेश्वरी पत्नी हेमाराम जाट नान्दोली मेड़तिया तहसील मकराना		
प्रा.पत्र नम्बर 246/2021	**GCMS No.2022/00371**	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23/6/2022	अप्रार्थी / खातेदार रामेश्वरी एवं उनके अधिवक्ता श्री बोदूराम चौधरी द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3594 / 138 रकबा 0.0738 हैक्टर भूमि धारा 90 बी के तहत 03.06.2020 को प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी द्वारा आदेश जारी किये जा चुके है। चूँकि उपरोक्त भूमि अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नही हो पा रहा है नही हो पा रहा है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञाएवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत की है। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत होने से पूर्व दिनॉक 03.6.2020 को प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी द्वारा प्रारूप–11 में अप्रार्थीया खातेदार रामेश्वरी के पक्ष में आदेश पारित किये गये है, अप्रार्थीया द्वारा किसी कारणवश उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण नही करवाया जा सका। अतः अब उपरोक्त आदेश के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करवाना चाहती है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनॉक 06.10.2020 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	